



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11062025-263720
CG-RJ-E-11062025-263720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2025/ज्येष्ठ 20, 1947

No. 2478]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2025/JYAISTHA 20, 1947

रेल मंत्रालय

(उत्तर पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

जयपुर, 10 जून, 2025

का.आ. 2538(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में “उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रामदेवरा और पोरण के बीच वाया भैरव गुफा-कैलाश टेकरी होते हुए नई लाइन (13.38 कि.मी.)” की विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक परियोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ‘सक्षम प्राधिकारी’ के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	2	3	4
1	उप खण्ड अधिकारी, पोकरण	पोकरण	जैसलमेर

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/सं.&नि./443599200 भाग-17]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(North Western Railway)

NOTIFICATION

Jaipur, the 10th June, 2025

S.O. 2538(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project “Construction of New line between Ramdevra and Pokran via Bhairav Gufa-Kailash Tekri (13.38 km) of Jodhpur division of North Western Railway” in the state of Rajasthan relating to the sub-divisions mentioned in column (3), district mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Tehsil	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Officer, Pokran	Pokran	Jaisalmer

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-XVII]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)